जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनाँक 24.07.2021

चैकिंग अभियान के दौरान 03 नफर वांछित अभि0गण को किया गिरफ्तार

श्रीमान उपमहानिरिक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि0 23/07/2021 को थाना सिहानीगेट के मुकदमे मे वांछित अभि01.नवनीत कुमार पुत्र श्यामबाबू नि0 ग्राम विजौली थाना अतरौली जनपद अलीगढ हाल नि0 म0न0 E-26 शिव मन्दिर के वगल वाली गली पंचशील कालोनी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्वनगर 2. कौशलेन्द्र सिह पुत्र मनवीर सिह 3. नितिन कुमार पुत्र राकेश नि0गण ग्राम गढी भट्टा न0 5 थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद सम्बन्धित मु0अ0स0.958/21 धारा 363,376डी,34 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट को मुखबिर की सूचना पर समय करीब 17.30 बजे हापुड मोड के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.नवनीत कुमार पुत्र श्यामबाबू नि0 ग्राम विजौली थाना अतरौली जनपद अलीगढ हाल नि0 म0न0 E-26 शिव मन्दिर के वगल वाली गली पंचशील कालोनी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्वनगर

2. कौशलेन्द्र सिह पुत्र मनवीर सिह

3. नितिन कुमार पुत्र राकेश नि0गण ग्राम गढी भट्टा न0 5 थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0.958/21 धारा 363,376डी,34 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

दिनांक- 24.07.2021 थाना भोजपुर, गाजियाबाद

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध रोकथाम / वांछित अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व शासन द्वारा जारी कोविड – 19 के निर्देशो का पालन कराने के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मोदीनगर के निर्देशन मे थाना भोजपुर पुलिस द्वारा गश्त / चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 24.07.21 को **मु0अ0सं0 213/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व मु0अ0सं0 320/21 धारा 379/411 भादवि. व 3/5/8 गौवध अधिनियम** का वांछित अभियुक्त सिवली पुत्र इकबाल नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को मोहउद्दीनपुर/खरखौदा रोड से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

सिवली पुत्र इकबाल नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद,

अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0स0 213/21 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना भोजपुर,
2. मु0अ0सं0 320/21 धारा 379/411 भादवि. व 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना भोजपुर,

धोखाधडी करने वालो के विरुद्ध चले चैकिंग अभियान के अन्तर्गत 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान उपमहानिरिक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा थाना सिहानीगेट के मु0अ0स0 1775/20 धारा 420/406/467/468/471/506 भादवि के वाछिंत अभि0 सनी वर्मा पुत्र अशोक कुमार नि0 A 303 अन्तरिक्ष अपार्टमेन्ट प्लाट नं0- 26 , सैक्टर 4 थाना द्वारका उत्तर दिल्ली को थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि0 23/07/021 को को समय करीब 21.50 बजे गिरफ्तार किया।

पूछताछ का विवरण -

दिनांक 05/11/2020 को वादीया श्रीमति सीमा तोमर पत्नि श्री सुनील कुमार नि0 8/38 राजेन्द्रनगर साहिबाबाद द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 1775/20 धारा 420/406/467/468/471/506 भादवि बनाम अचिन गुम्बर आदि 07 नफर थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था। जिसमे अभि0गण द्वारा वादी पक्ष को विश्वाश मे लेकर प्लाट खरीदने व उस पर लोन कराने को बताकर कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन हडप लेने के विरुद्ध रिर्पोट दर्ज की गयी थी। पुलिस टीम द्वारा वांछित अभि0 सनी वर्मा उपरोक्त को दि0 23/07/021 को को समय करीब 21.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

सनी वर्मा पुत्र अशोक कुमार नि0 A 303 अन्तरिक्ष अपार्टमेन्ट प्लाट नं0- 26 , सैक्टर 4 थाना द्वारका उत्तर दिल्ली

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0स0 1775/20 धारा 420/406/467/468/471/506 भादवि थाना सिहानीगेट गा0बाद

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 02 शातिर किस्म के चोर अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 23.07.2021 को समय 23:30 बजे थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा चन्द्र नगर ओवर ब्रिज के नीचे से 02 शातिर किस्म के चोरों को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से दो अवैध चाकू बरामद हुए।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अनिल पुत्र लाल जी प्रसाद निवासी तीरथ राघव का मकान कड़कड़ लिंक रोड़ गा0बाद मूल निवासी ग्राम कोयला थाना कोंडिया जिला गोरखपुर

2. मुकेश पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी तीरथ राघव का मकान ग्राम कड़कड़ थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम पंचेसर थाना पिथौरागढ़ जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड

गिरफ्तारी घटनास्थल

चन्द्र नगर ओर ब्रिज के नीचे

दिनांक 23.07.2021 समय 23:30 बजे

बरामदगी का विवरण -

1. दो अदद अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 0325/2021 धारा 380/511 भादवि थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद बनाम अनिल व मुकेश
2. मु0अ0सं0 0461/2021 धारा 4/25 ए एक्ट थाना लिकंरोड गाजियाबाद बनाम अनिल
3. मु0अ0सं0 0462/2021 धारा 4/25 ए एक्ट थाना लिकंरोड गाजियाबाद बनाम मुकेश
4. मु0अ0सं0 0283/2021 धारा 379/411 भादवि थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद बनाम अनिल व मुकेश
5. मु0अ0सं0 0272/2021 धारा 380 भादवि बनाम मुकेश
6. मु0अ0सं0 0284/2021 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम मुकेश

थाना कविनगर पुलिस द्वारा सरकारी कम्पनी मे गाडी लगवाने के नाम पर धोखा धडी करने वाले गिरोह का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1873/19 धारा 420/467/468/471/406/504/506 भादवि के अभियोग में वाछिंत अभियुक्तगण दीपक राणा पुत्र कृष्णवीर सिंह राणा नि0 ककराना थाना धौलाना जिला हापुड हाल नि0 सी-0146 टावर न0 21 दिनेश नगर पिलखुआ हापुड को मुखबिर की सूचना पर लाल कुआ पुल की नीचे थाना कविनगर क्षेत्र से दिनांक 23.07.21 को समय 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादी को गाडी दिलाकर सरकारी अधिकारी के नीचे 30 हजार रुपये प्रतिमाह लगवाने के नाम पर लेकर दूसरी गाडी ब्रेजा खरीदवाना व उसे भी प्रतिमाह 45 हजार रुपये माह दिलाने की बात कह कर ले लेना तथा न तो कोई पैसा देना व न ही गाडी वापिस करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. दीपक राणा पुत्र कृष्णवीर सिंह राणा नि0 ककराना थाना धौलाना जिला हापुड हाल नि0 सी - 0146 टावर न0 21 दिनेश नगर पिलखुआ हापुड उम्र करीब 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1- मु0अ0सं0 1873/19 धारा 420/467/468/471/406/504/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

2-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से 110 ग्राम नशीला पाउडर नाजायज बरामद

दिनांक 24-07-2021

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज रजा के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अतुल कुमार सोनकर महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी श्री संदीप कुमार सिंह की टीम दिनांक 23/07/2021 समय 21.30 बजे आसरा तिराहे चाय के खोके के पास से दौराने चैकिंग अभियुक्त अशोक कुमार झा पुत्र हरीमोहन झा निवासी नसीब विहार इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को मय 110 ग्राम नशीला पाउडर के गिरफ्तार किया गया। ।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछतांछ का विवरणः-

पकडे गये अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब दिल्ली झुग्गी झोपडी से कम दामो मे नशीला पाउडर खरीदकर उसे अधिक दामो मे बेचकर मौज मस्ती व शौक पूरा करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अशोक कुमार झा पुत्र हरीमोहन झा निवासी नसीब विहार इलायचीपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मुस्तकीम उपरोक्त

1. मु0अ0स0-495/2021 धारा -8/21 NDPS Act थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः-

1. 110ग्राम नशीला पाउडर बरामद अभि0 मुस्तकीम उपरोक्त

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा (चैन/ मोबाइल लूटेरो) के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तगण को लूटी गयी 03 अदद सोने की गले की चैन व 04 मोबाइल फोन एवं अवैध तंमचा .315 बोर मय 02 कारतूस जिंदा .315 बोर व 1 अदद चाकू सहित गिरफ्तार किया गया

कार्यवाहीः- दिनांक 23.07.2021 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चैन एवं मोबाइल फोन लूटेरो के विरूद्ध चलाये गये अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर समय 20.50 बजे शिव चौक से राजेन्द्र नगर की तरफ एक मोटर साईकिल पर सवार दो

चैन / मोबाइल फोन लूटेरो को मय अवैध अस्लाह व लूटी गयी 03 अदद सोने की गले की चैन एवं लूटे गये 04 अदद विभिन्न कम्पनियो के मोबाइल फोन तथा एक अदद मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया है।

<u>अपराध कारित करने का तरीकाः-</u>

अभियुक्तगण शातिर किस्म के लूटेरे है तथा सुनसान जगह व राह चलते व्यक्तियो से मोटर साईकिल पर सवार होकर अचानक से गले की चैन व हाथ मे लिये मोबाइल फोन को झपटकर/ लूटकर फरार हो जाते है। जिनके विरूद्ध थाना साहिबाबाद पर चैन / मोबाइल लूट के विभिन्न अभियोग पंजीकृत है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.शहजाद पुत्र मुस्तकीम निवासी बी0 119 विक्रम एन्कलेव शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 24 वर्ष

2. सुहेब पुत्र दिलशेर निवासी बी- 45 शालीमार गार्डन थाना साहिबाबाद गा0बाद 23 वर्ष

<u>पंजीकृत अभियोगो का विवरणः-</u>

1- मु0अ0स0 549/21 धारा 392,411 भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
2- मु0अ0स0 1526/21 धारा 392,411 भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
3- मु0अ0स0 1426/21 धारा 392,411 भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
4- मु0अ0स0 1403/21 धारा 392,411 भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
5- मु0अ0स0 1306/21 धारा 392,411 भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
6- मु0अ0स0 1530/21 धारा 414,411 भादवि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
7- मु0अ0स0 1531/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
8- मु0अ0स0 1532/21 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. एक अदद सीएमपी .315 बोर मय 02 अदद कारतूस जिन्दा .315 बोर
2- एक अदद चाकू नाजायज
3- एक अदद मोवाइल रेडमी एमआई रंग गोल्डन imei no 868085039981180 ,868085039981198 सम्बन्धित मु0अ0स0 549/21 धारा 392 , 411 भादवि0
4- एक अदद चैन पीली धातु की सम्बन्धित मु0अ0स0 1526/21 धारा 392 , 411भादवि0
5- एक अदद मोवाइल ओपो रेनो 2 imei no 865833040334979 रंग नीला सम्बन्धित मु0अ0स0 1426/21 धारा 392, 411 भादवि0
6- एक अदद चैन पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0स0 1403/21 धारा 392,411 भादवि
7- एक अदद चैन पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0स0 1306/21 धारा 392, 411 भादवि0
8- एक अदद मोवाइल नोकिया रंग सफेद व एक अदद मोवाइल ओपो रंग काला चोरी का बरामद सम्बन्धित धारा 411,414 भादवि0
9- एक अदद मो0स0 के0टी0एम DL5SCK4872 सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट।

प्रेस नोट थाना टीला मोड़ गा0बाद दि0 24.7.2021

आबकारी निरीक्षक टीम व थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 60 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब नाजायज सहित गिरफ्तार किया,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अवैध शराब ब्रिक्री/ माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे आबकारी निरीक्षगण व थाना टीला मोड पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को दो कैन में 30-30 लीटर कच्ची शराब नाजायज सहित गिरफ्तार किया।

दिनाँक 24/07/2021 को समय 10.00 बजे गस्त व चैकिंग के दौरान रिस्तल की और जाने वाली नहर पुलिया से एक अभियुक्त (1) गौतम कसाना पुत्र बुद्ध राम नि0 रिस्तल थाना टीला मोड़ गा0बाद को अलग अलग 30 - 30 लीटर नाजायज कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 401/21 धारा 60/62/72 आबकारी अधिनियम बनाम गौतम कसाना पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

(1) गौतम कसाना पुत्र बुद्ध राम नि0 रिस्तल थाना टीला मोड़ गा0बाद

अभियुक्त से बरामदगी –

(1) अलग अलग दो प्लास्टिक कैन मे 30-30 ली0 नाजायज कच्ची शराब
(2) घटना मे प्रयुक्त स्कूटी न0-UP14EJ6621

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0सं0 401/21 धारा 60/62/72 आब0 अधि0 थाना टीला मोड गा0बाद बनाम गौतम कसाना
अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 04 शातिर/वांछित जहरखुरानी गिरोह के सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 04 अदद चाकू अदद चाकू नाजायज मय 457 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर व तीन चोरी की ई रिक्शा बरामद

दिनांक 24-07-2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज रजा के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अतुल कुमार सोनकर महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी श्री संदीप

कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक 23/07/2021 समय 23.35 बजे खानपुर शमशान घाट के पास सैक्टर -11 ट्रोनिका सिटी से दौराने चैकिंग अभियुक्त 1.दिलशाद पुत्र नफीश निवासी जैन कालोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष मय एक अदद चाकू नाजायज व 112 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज 2. मौ0 इसराईल उर्फ जोजो पुत्र मौ0 मुस्तकीम निवासी कब्रिस्तान के पास मदरसे वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष मय एक चाकू नाजायज व 110 ग्राम नशीला पाउडर नाजायज 3. जाबिर उर्फ जावेद पुत्र मौ0 आबिद निवासी अल्वीनगर नसबन्दी कालोनी चौकी डाबर तालाब थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष मय एक अदद चाकू नाजायज व 115 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज 4. कल्लू उर्फ अबरार पुत्र मेहबूब निवासी पीर वाली गली मुस्तफाबाद थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष मय एक अदद चाकू नाजायज व 120 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज व एक अदद चोरी की ई रिक्शा रंग नीला सम्बन्धित मु0अ0स0- 494/21 धारा- 328/379/411 भादवि व दो अन्य चोरी की ई रिक्शा के साथ गिरफ्तार किया गया। ।

<u>अपराध कारित करने का तरीका/पूछतांछ का विवरणः-</u>

पकडे गये अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम लोग लोनी व आस पास के क्षेत्रों में ई रिक्शा में सवारी बनकर बैठ जाते है और रिक्शा चालक को बहला फुसलाकर खाद्य पदार्थ में नशीला पाउडर मिलाकर खिला देते है जिसका कोड वर्ड सब्जी है। जब वह नशे में हो जाता है तो उसे उताकर उसकी ई रिक्शा चुराकर चलते फिरते लोगो को बेच देते है यह कार्य हम पिछले 03 साल से कर रहे है हम पूर्व में भी लोनी बोर्डर व साहिबाबाद इसी संबंध में जेल जा चुके है दिनांक 18.07.2021 को भी हमने नीले रंग की रिक्शा के चालक को लड्डुओं में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाकर उसके नशे में होने के बाद उसकी ई रिक्शा को चुरा लिया था। यदि कोई ई रिक्शा चालक विरोध करता है तो उसको डराने के लिए हम अपने पास नाजायज चाकू भी रखते है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1. दिलशाद पुत्र नफीश निवासी जैन कालोनी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
2. मौ0 इसराईल उर्फ जोजो पुत्र मौ0 मुस्तकीम निवासी कब्रिस्तान के पास मदरसे वाली गली अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
3. जाबिर उर्फ जावेद पुत्र मौ0 आबिद निवासी अल्वीनगर नसबन्दी कालोनी चौकी डाबर तालाब थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष
4. कल्लू उर्फ अबरार पुत्र मेहबूब निवासी पीर वाली गली मुस्तफाबाद थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

<u>दिलशाद पुत्र नफीस उपरोक्त</u>

1. मु0अ0स0-494/2021 धारा-328/379/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2.मु0अ0स0 496/21 धारा- 414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
3.मु0अ0स0-497/21 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
4.मु0अ0स0-498/21 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

<u>मौ0 ईसराईल उर्फ जोजो पुत्र मौ0 मुस्तकीम उपरोक्त</u>

1. मु0अ0स0-494/2021 धारा-328/379/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2.मु0अ0स0 496/21 धारा- 414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
3. मु0अ0स0-499/21 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
4. मु0अ0स0-500/21 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

जाबिर उर्फ जावेद पुत्र मौ0 आबिद-

1. मु0अ0स0-494/2021 धारा-328/379/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2.मु0अ0स0 496/21 धारा- 414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
3. मु0अ0स0-501/21 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
4. व मु0अ0स0-502/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
5.मु0अ0स0-738/2020 धारा 482//411/414 भादवि थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

कल्लू उर्फ अबरार पुत्र मेहबूब उपरोक्त

1. मु0अ0स0-494/2021 धारा-328/379/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2.मु0अ0स0 496/21 धारा- 414 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
3.मु0अ0स0-503/21 धारा -4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
4. मु0अ0स0-504/21 - 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः-

1. **चार अदद चाकू नाजायज**
2. **457 ग्राम नशीला पाउडर नाजायज।**
3. **तीन अदद चोरी की ई रिक्शा**

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री संदीप कुमार सिंह थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
2. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
3. उ0नि0 श्री जय सिंह थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
4. है0का0 938 जयवीर सिंह थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।
5. का01096 अरविन्द कुमार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबादि।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ट्रको के टैंक का ढक्कन तोडकर डीजल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तेल चोरी करने के उपकरण एवं फर्जी नम्बर प्लेट लगा कन्टेनर बरामद

कार्यवाहीः- दिनांक 22/07/2021 को वादी श्री कमल सिंह के ट्रक नं0 UP14GT4505 से टैक का ढक्कन तोडकर डीजल चोरी होने की घटना पर वादी द्वारा दिनांक 23/07/21 को मु0अ0सं0- 701/2021 धारा 379/427 भादवि पंजीकृत कराया गया थी अभियोग का सफल अनावरण करने कि लिये श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार द्वारा टीम गठित कर ड्राईवर से की पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम द्वारा प्रयास कर सफल अनावरण करते हुए दिनांकः 24/07/2021 को चिपियाना फाटक से करीब 30 कदम पहले थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से प्रकाश मे आये 02 नफर अभियुक्त 1-इस्लामुद्दीन, 2- जाकिर को केंटर सहित गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से तेल चोरी करने के उपकरण एवं 100 लीटर डीजल (चोरी का) मय फर्जी नम्बर प्लेट लगा कन्टेनर पकडा गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछतांछ का विवरणः-

अभियोग का सरगना इस्लामुद्दीन व अभि0 जाकिर से पूछताछ पर बताया कि हम इस टाटा केन्टर गाड़ी पर पुलिस को धोखा देने की नियत से फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर रात में सुनसान इलाको तथा सड़क के किनारे खड़े ट्रको से डीजल निकालकर चोरी करते हैं तथा दिनांक 22-7-2021 को की रात्रि में हमने आर्य फार्म हाऊस के पास खड़े ट्रक के डीजल टैंक का ढक्कन तोड़कर करीब 100 लीटर डीजल चोरी किया था, जिसे हम आज बेचने की फिराक में आये थे। हमारे साथी समीनू पुत्र नजीर तथा मोहसिन पुत्र रजवा हमारे साथ ही था भाग गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- इस्लामुद्दीन पुत्र अब्दुल लतीफ नि0 मौ0 किशनगंज नई आबादी कस्बा व थाना पिलखुआ जनपदहापुड़- उम्र वर्ष 52
2- जाकिर अली पुत्र मौ0 यामीन नि0 मौ0 किशनगंज नई आबादी कस्बा व थाना पिलखुआ जनपदहापुड- उम्र 46 वर्ष

आपराधिक इतिहास इस्लामुद्दीन उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 701/2021 धारा 379/427/411/420 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास इस्लामुद्दीन उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 701/2021 धारा 379/427/411/420 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः

1- टाटा केन्टर गाड़ी मय एक फर्जी नम्बर प्लेट,
2- दो ड्रम प्लास्टिक)200 लीटर के(जिसमे लगभग 100 लीटर डीजल,
3- दो बाल्टी प्लास्टिक)20 लीटर की (
4- एक तेल डालने वाला फूल लोहे का,
5- दो प्लास्टिक के पाईप, एक डण्डा

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

6. प्र0नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
7. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र पाल सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
8. है0का0 मनीष सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
9. है0का0 सुशील कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
10. है0का0 विजयपाल सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
11. है0का0 मनवीर सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
12. का0 अवधेश कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

मु0अ0सं0 702/2021 -us 63/65 कापीराइट एक्ट / 420 ipc / 103/104 टेडमार्क एक्ट में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार की टीम दिनांकः **23/07/2021** घटनास्थल- प्रेमनगर चौकी क्षेत्र दूग्धेश्वर नाथ मन्दिर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त अशोक कुमार तनेजा पुत्र स्व0श्री चमनलाल को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मोनोसोडियम गलूटामेट (अजीनोमोटो) के 16 वोरी प्लास्टिक प्रत्येक मे 50 पैकेट वजन 500 ग्राम प्रत्येक पैकेट व 5786 खाली पैकेट व 215 पैकेट अनसील्ड व सीपीयू व पैकिंग एवं सिलाई मशीन व विल्स कच्चे व पक्के व पैकेट बनाकर नकली आजीनोमोटो तथा मोमोज ब्रान्ड के आजीनोमोटो बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0-**702/2021 धारा- 63/65 कापीराइट एक्ट व धारा- 420 भादवि व धारा- 103/104 टेडमार्क एक्ट** वनाम अशोक कुमार तनेजा उर्फ डिम्पू पंजीकृत किया गया।

<u>अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरणः-</u>

पकडे गये अभियुक्त द्वारा बताया कि साहब मैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट गोल्डेन क्राउन ब्राण्ड दिल्ली से खरीदता हूँ। यह चाईनीज माल है और अपने गोदाम पर लाकर **होलीलैंड मार्केटिंग कम्पनी के प्रोडक्ट** गोल्डन क्राउन के रैफर में भरकर मशीन से पैंकिग करके मार्केट्र में बिना बिल के बेच देता हूँ। जिससे मुझे काफी धन का लाभ प्राप्त होता है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -</u>

अशोक कुमार तनेजा उर्फ डिम्पू पुत्र स्व0श्री चमनलाल निवासी म0न0-111 प्रेमनगर थाना कोतवाली नगर गाजियावाद उम्र करीव 38 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त अशोक कुमार तनेजा उपरोक्त</u>

मु0अ0सं0-**702/2021 धारा- 63/65 कापीराइट एक्ट व धारा- 420 भादवि व धारा- 103/104 टेडमार्क एक्ट** वनाम अशोक कुमार तनेजा उर्फ डिम्पू

बरामदगी :-

1. **मोनोसोडियम ग्लूटामेट (अजीनोमोटो) के 16 वोरी प्लास्टिक**प्रत्येक बोरी में पैकेट 500 50- 500gms के मिले जो कुल मिलाकर पैकेट जो कि तैयार थे 800 **तथा** खाली पैकेट मिले जिनको दो बारियो में रखा 5786 ।
2. **कुल 05 बोरी- पैकेट 215 अनसील्ड**
3. **सीपीयू पैंकिग एक बोरी**
4. **सिलाई मशीन एक बोरी**
5. SUPER INDIA के बहुत से बिल्स कच्चे व पक्के को दो बोरियो में रखा ।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

13. प्र0नि0 श्री संदीप कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
14. उ0नि0 श्री दिनेश पाल सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
15. उ0नि0 जोगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
16. है0का0 306 सुनहरा सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
17. है0का0 736 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

<u>होलीलैंड मार्केटिंग कम्पनी टीम 1</u>. श्री रीशू मिश्रा पुत्र श्री दिनेश मिश्रा (अधिकृत प्रतिनिधि)

1. **मोहित कुमार - 9837793131 (एक्सपर्ट) ।**